"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2016— अग्रहायण 28, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-148/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/1717 रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

1. इन्द्रजीत शर्मा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, कुनकुरी, जिला जशपुर, छ.ग.
2. टेकनारायण सिंह, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, कुनकुरी, जिला जशपुर, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 15 दिसम्बर 2016

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर के प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत कुनकुरी, जिला जशपुर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014-जनवरी 2015 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 16 अप्रैल 2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत कुनकुरी के आम निर्वाचन 2014 में अध्यक्ष पद की अभ्यर्थियों इन्द्रजीत शर्मा एवं टेकनारायण सिंह द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों इन्द्रजीत शर्मा एवं टेकनारायण सिंह को दिनांक 13-5-2015 को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रही तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निर्रहित किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से तामील नहीं होने कारण पुन: दिनांक 23-05-2016 को कारण बताओ सूचना जारी की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों इन्द्रजीत शर्मा एवं टेकनारायण सिंह को क्रमश: दिनांक 14-6-2016 तथा दिनांक 19-6-2016 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थियों इन्द्रजीत शर्मा एवं टेकनारायण सिंह को कारण बताओ सूचना सम्यक रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब

प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि अभ्यर्थियों इन्द्रजीत शर्मा एवं टेकनारायण सिंह को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उनके विरूद्ध दिनांक 30-11-2016 को एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

4. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों इन्द्रजीत शर्मा एवं टेकनारायण सिंह ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा- प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना- अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था. यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर द्वारा प्रतिवेदन में 4 फरवरी 2015 उल्लेखित किया गया है.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपंचायत कुनकुरी के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों इन्द्रजीत शर्मा एवं टेकनारायण सिंह ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थियों इन्द्रजीत शर्मा एवं टेकनारायण सिंह प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों इन्द्रजीत शर्मा एवं टेकनारायण सिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 15 दिसम्बर 2016 को जारी किया गया.

हस्ता./
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.